UPMO010069862026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार-IV)**, (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06124**

तृतीय अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र सं0–2108/2026

1. अशोक कुमार पुत्र राम शंकर, निवासी–मतौली, कन्नौज, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमोद कुमार सिंह पुत्र अहिबरन सिंह, निवासी–नादेमऊ, सौरिख रूरल, कन्नौज, उत्तर प्रदेश।
3. अशोक कुमार पुत्र रामपाल, निवासी–पो0 नादेमऊ, मधुपुरी, सौरिख रूरल, कन्नौज।
4. प्रभात श्रीवास्तव पुत्र अरविन्द कुमार, निवासी–366, तीरवा रोड, हनुमान मन्दिर, नादेमऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मु0अ0सं0–07/2016
धारा–420,468,471 भा0दं0सं0
थाना–मुगलपुरा, जिला–मुरादाबाद।

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण अशोक कुमार पुत्र राम शंकर, प्रमोद कुमार सिंह, अशोक कुमार पुत्र रामपाल तथा प्रभात श्रीवास्तव की ओर से इन आधारों पर तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनका यह तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रथम व द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दाखिल किये गये थे, जो माननीय न्यायालय से दिनांक 24.02.2026 व दिनांक 27.05.2026 को निरस्त हो चुके हैं। पुलिस ने उक्त मामले में केवल धारा 420,468,471 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया है, इसलिये यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र योजित किया जा रहा है। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की कहानी पूर्णतः झूठे तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना की जानकारी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा जो साक्षी दर्शाये गये हैं वह सभी हितबद्ध साक्षी हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर उनके विरूद्ध कोई भी मामला नहीं बनता है। उनको वादी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई फर्जी व कूटरचित

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.28 11:40:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दस्तावेज नहीं दिया गया है। आवेदकगण ने आज तक धारा 41क के नोटिस का उल्लंघन नहीं किया है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय से उनके विरूद्ध समन, जमानतीय अधिपत्र व अजमानतीय अधिपत्र जारी हो गया है, जिस कारण उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आरोपित अपराध 07 वर्ष से कम सजा का है, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। वे जमानत मिलने पर जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे और न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जायेंगे और न साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी। तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा श्री योगेन्द्र नाथ सिंह संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मण्डल मुरादाबाद द्वारा संबधित थाना कोतवाली मुगलपुरा, मुरादाबाद के समक्ष टाइपशुदा प्रार्थना पत्र/तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की, कि शासन/विभाग के निर्देशों के अनुपालन में मुरादाबाद मण्डल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (एल०टी०) के विभिन्न विषयों में रिक्त पुरूष संवर्ग 112 तथा महिला संवर्ग 174 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली 1992 में निहित प्राविधान अनुसार माह सितम्बर 2014 में विज्ञापन (छाया प्रति संलग्न) प्रकाशित कराया गया। उपरोक्तानुसार प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनका कम्प्यूटराइज्ड विवरण तैयार कर उक्त नियमावली में निहित प्रावधान अनुसार गुणांक के आधार पर अनन्तिम मैरिट सूची तैयार कर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) यथा संशोधित सेवा नियमावली 1992 के नियम 15(3) अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। चयन समिति के निर्णयानुसार मैरिट सूची में अंकित 01 पद के सापेक्ष 05 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लिया गया कि प्रस्तुत सभी अभिलेख सही हैं, भविष्य में जांच के दौरान यदि कोई भिन्नता पायी जाती है, तो शपथकर्ता की स्वयं की जिम्मेदारी होगी और विभाग द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। इस क्रम में विभाग द्वारा यदि उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, भी प्राप्त किया गया। उपर्युक्त चयन प्रक्रिया के उपरान्त अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के प्रस्तुत शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभिन्न विश्वविद्यालयों से कराया गया, जिनमें प्राप्त सत्यापन

आख्या के अनुसार विभिन्न विषयों में चयनित 12 अभ्यर्थियों (सूची विवरण सहित संलग्न) द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त कर विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है तथा 75 अभ्यर्थियों (सूची विवरण सहित संलग्न) द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चयन प्राप्त करने का प्रयास किया गया। अतः उपरोक्तानुसार सत्यापन में फर्जी पाये गये अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करते हुए इनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें। वादी मुकदमा की प्रश्नगत तहरीर के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं 83 अन्य के विरूद्ध धारा–420, 467, 468, 469, 471 भ0दं0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। उक्त मामले में दौरान विवेचना धारा 467,469 भा0दं0सं0 का लोप किया गया।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का प्रबल विरोध करते हुए प्रश्नतगत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की।

4. मैंने विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को विनम्रतापूर्वक सुना एवं पत्रावली का तत्समय सम्यक अवलोकन किया।

5. अभियोजन के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त हैं। इनके द्वारा फर्जी शैक्षिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक (एल०टी०) के पद पर चयन के उपरान्त नियुक्ति प्राप्त कर विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने का प्रयास किया गया। बाद सत्यापन शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये। दौरान विवेचना आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सक्षम साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण दिनांक 24.02.2026 को निरस्त किया जा चुका है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा–420,467,468,469,471 के अंतर्गत दिनांक 27.05.2026 को गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अपने तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कोई नये आधार वर्णित नहीं किये गये, सिवाय कि आरोप पत्र धारा–420,468,471 भा0दं0सं0 में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण कई वर्षों से निरन्तर अनुपस्थित चल रहे हैं और उनके विरूद्ध अजमानतीय आदेशिकायें जारी हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण की

अनुपस्थिति के कारण वाद की कार्यवाही बाधित हो रही है। अतः उपरोक्त के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी विधिक अनुतोष, संरक्षण अथवा न्यायिक सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत तृतीय प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण अशोक कुमार पुत्र राम शंकर, प्रमोद कुमार सिंह, अशोक कुमार पुत्र रामपाल तथा प्रभात श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 27–07–2026

(अनिल कुमार–IV)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6124)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 01,
मुरादाबाद।